न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बांरा राज0
पीठासीन अधिकारीः— दीनानाथ बब्बल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—26/19 दायराः—05.08.2019

उनवान

1—बारेलाल पुत्र श्री प्रभू जाति चमार निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
2—गनेशलाल पुत्र श्री प्रभू जाति चमार निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
3—बत्ती पुत्री श्री प्रभू जाति चमार निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
4—जानकी पुत्र श्री प्रभू जाति चमार निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
5—केशर पत्नि स्व. श्री प्रभू जाति चमार निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)

————वादीगण

बनाम

1—मालती पत्नि खैरू जाति जाटव निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
2—मानसिंह पुत्र बद्री जाति जाटव निवासी नारायनखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
3—राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब शाहाबाद जिला बांरा राज0।

————प्रतिवादीगण

दावाः— वाद अन्तर्गत धारा 53,183,188 आर0 टी0 एक्ट.
निर्णय दिनांक—21.07.2020
जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है—

ग्राम कुश्यारा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान में आराजी खसरा न0 259 रकवा 14.10 बीघा, ख0 न0 671 रकवा 5.00 बीघा, ख0 न0 672 रकवा 9.13 बीघा, ख0न0 673 रकवा 0.08 बीघा, ख0न0 674 रकवा 4.19 बीघा, ख0 न0 675 रकवा 1.00 बीघा, ख0 न0 676 रकवा 7.04 बीघा एवं ख0 न0 700 रकवा 1.15 बीघा कुल किता 8 कुल रकवा 44.09 बीघा स्थित हैं जिसे दावे में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है इस तरह वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 सहखातेदार है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का राजस्व रिकार्ड में बटबारा नही हुआ है लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी कम आपसी सहमति से आधी आधी जमीन को काश्त करते चले आ रहे है वादीगण अपने हिस्से की भूमि में कृषि सुधार करना चाहते हैं जो बिना

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज.)

Scanned by CamScanner

विभाजन के सम्भव नही है इस कारण वादीगण ने दिनांक 1/7/19 को प्रतिवादी कम 1 से कहा कि हम सब लोग अपने अपने हिस्से का विभाजन कराकर अपने अपने हिस्से का पृथक विभाजन करा कर राजस्व रिकार्ड नक्शा आदि में अपने हिस्से को तरमीम करा लेते है

उसके बाद आप अपने हिस्से पर कुछ भी करना लेकिन प्रतिवादी कम 1 तैयार नही हुई और कहने लगे कि मुझे तो जहां अच्छा लगेगा वहा बोर लगाउंगी और जहां मेरी इच्छा होगी वहा काश्त करूंगी वादीगण ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी कम 1 ने विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से करीब 7 बीघा जमीन प्रतिवादी कम 2 को पिछले 2 साल पूर्व मुनाफा काश्त पर दी थी जिसकी अवधि दिनांक 30/6/19 को समाप्त हो गई उसी समय प्रतिवादी कम 2 वहां आ गया और वादीगण से कहने लगा कि मैंने जो जमीन तुम से मुनाफा पर ली है उसे मैं अभी दो साल और काश्त करूगा वादीगण ने मना किया तो वह धमकी देने लगा कि में तुम्हें खेत मे घुसने नही दूंगा न ही कब्जा छोडूंगा प्रतिवादी कम 2 झगडालू प्रवर्ति का व्यक्ति है जो ताकत के बल पर वादीगण के हिस्से की जमीन में से करीब 7 बीघा भूमि से कब्जा नही छोड रहा है। यदि तुम जमीन का बटबारा भी करालोगे तो भी मैं जमीन से कब्जा नही छोडूगा यदि तुम जमीन पर आये तो तुम्हें जान से खत्म कर दुगा प्रतिवादी कम 2 की इस धमकी से वादीगण के हक हकूक मालिकाना को खतरा पैदा हो गया है प्रतिवादी कम 2 अपने मंसूवे में कामयाव हो गया और विवादित आराजियात के वादीगण के हिस्से से बेदखल करने में कामयाव हो गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि प्रतिवादी कम 2 का विवादित आराजियात में कोई हक नही है इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी कम 2 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है एवं वादीगण विवादित आराजियात में से अपने हिस्सा 1/2 को प्रतिवादी कम 1 से विभाजित करा कर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अपने हिस्सा 1/2 को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर पृथक से खाते दर्ज कराकर अपने हिस्से में आई आराजी को पैमाइस करा कर पृथक कब्जा प्राप्त करने के हकदार है तथा प्रतिवादी कम 2 को अपने हिस्से की आराजी में से 7 बीघा भूमि जो वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 को मुनाफा काश्त पर दी से बेदखल करा कर आराजी पर कब्जा प्राप्त करने के हकदार है वाद कारण दिनांक 1/7/19 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण से विवादित आराजी को विभाजित कराने से साफ इन्कार कर देने पर एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा वादीगण के हिस्से की आराजी में से करीब 7 बीघा भूमि से कब्जा न छोडने एवं विवादित आराजियात में वादीगण के हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम कुश्यिारा में उत्पन्न हुआ है विवादित आराजियात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सम्मानीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत करना तथा प्रतिवादी कम 3 सर्वोच्च भू–स्वामी होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया जाने का कथन करते हुए निवेदन किया है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में से वादीगण के हिस्से 1/2 को राजस्व रिकार्ड में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजित कर वादीगण के हिस्से को राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज करें तदानुसार राजस्व नक्शे को तरमीम कर वादीगण को अपने हिस्से में आई आराजियात पर पैमाइस कराकर पृथक से कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित करने तथा प्रतिवादी कम 2 को वादीगण के हिस्से की 7 बीघा भूमि से बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने के अनुतोष के साथ वाद प्रस्तुत किया है जिसे वाद जॉच दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। कि वह विवादित आराजियात के किसी भी भाग से वादीगण को बेदखल न करे नही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने के अनुतोष की मांग वादीगण द्वारा की गई ।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्न तलब किया गया प्रतिवादी कम 2 के बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी कम 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 3 स्टेट द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया प्रतिवादी कम 1 ने उपस्थित होकर इकवाली जबाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम कुशियारा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान में आराजी खसरा न0 259 रकवा 14.10 बीघा, ख0 न0 671 रकवा 5.00 बीघा, ख0 न0 672 रकवा 9.13 बीघा, ख0न0 673 रकवा 0.08 बीघा, ख0न0 674 रकवा 4.19 बीघा, ख0 न0 675 रकवा 1. 00 बीघा, ख0 न0 676 रकवा 7.04 बीघा एवं ख0 न0 700 रकवा 1.15 बीघा कुल किता 8 कुल रकवा 44.09 बीघा का स्थित होना स्वीकार हैं। विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के संयुक्त खाते में दर्ज होना एवं इस तरह वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 सहखातेदार होना जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद न0 3 में वर्णित यह कथन कि विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का राजस्व रिकार्ड में बटबारा नही हुआ है लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी कम आपसी सहमति से आधी आधी जमीन को काश्त करते चले आ रहे है वादीगण अपने हिस्से की भूमि में कृषि सुधार करना चाहते हैं जो बिना विभाजन के सम्भव नही है इस कारण वादीगण ने दिनांक 1/7/19 को प्रतिवादी कम 1 से कहा कि हम सब लोग अपने अपने हिस्से का विभाजन कराकर अपने अपने हिस्से का पृथक विभाजन करा कर राजस्व रिकार्ड नक्शा आदि में अपने हिस्से को तरमीम करा लेते है उसके बाद आप अपने हिस्से पर कुछ भी करना लेकिन प्रतिवादी कम 1 तैयार नही हुई और कहने लगे कि मुझे तो जहां अच्छा लगेगा वहा बोर लगाउंगी और जहां मेरी इच्छा होगी वहा काश्त करूंगी वादीगण ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी कम 1 ने विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में से करीब 7 बीघा जमीन प्रतिवादी कम 2 को पिछले 2 साल पूर्व मुनाफा काश्त पर दी थी जिसकी अवधि दिनांक 30/6/19 को समाप्त हो गई उसी समय प्रतिवादी कम 2 वहां आ गया और वादीगण से कहने लगा कि मैंने जो जमीन तुम से मुनाफा पर ली है उसे मैं अभी दो साल और काश्त करूगा वादीगण ने मना किया तो वह धमकी देने लगा कि में तुम्हें खेत मे घुसने नही दूंगा न ही कब्जा छोडूंगा प्रतिवादी कम 2 झगडालू प्रवर्ति का व्यक्ति है जो ताकत के बल पर वादीगण के हिस्से की जमीन में से करीब 7 बीघा भूमि से कब्जा नही छोड रहा है। यदि तुम जमीन का बटबारा भी करालोगे तो भी मैं जमीन से कब्जा नही छोडूगा यदि तुम जमीन पर आये तो तुम्हें जान से खत्म कर दूगा प्रतिवादी कम 2 की इस धमकी से वादीगण के हक हकूक मालिकाना को खतरा पैदा हो गया है प्रतिवादी कम 2 अपने मंसूवे में कामयाव हो गया और विवादित आराजियात के वादीगण के हिस्से से बेदखल करने में कामयाव हो गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जबकि प्रतिवादी कम 2 का विवादित आराजियात में कोई हक नही है इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी कम 2 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है स्वीकार है ।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी कम 1 का यह भी कथन है कि वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी कम 1 भी विवादित आराजियात में से अपने हिस्सा 1/2 को विभाजित करा कर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अपने हिस्सा 1/2 को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर पृथक से खाते दर्ज कराकर अपने हिस्से में आई आराजी को पैमाइस करा कर पृथक कब्जा प्राप्त करने की हकदार है तथा प्रतिवादी कम 2 को अपने हिस्से की आराजी में से 7 बीघा भूमि जो वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 को मुनाफा काश्त पर दी से बेदखल करा कर आराजी पर कब्जा प्राप्त करने के हकदार है वादकारण दिनांक 1/7/19 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण से विवादित आराजी को विभाजित कराने से साफ इन्कार कर देने पर एवं प्रतिवादी कम 2 द्वारा वादीगण के हिस्से की आराजी में से करीब 7 बीघा भूमि से कब्जा न छोडने एवं विवादित आराजियात में वादीगण के हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम कुश्यारा में उत्पन्न हुआ है। यह कथन भी स्वीकार है।

इकवाली जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में से वादीगण के हिस्से 1/2 को एवं प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/2 को राजस्व रिकार्ड में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजित कर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के हिस्से को राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज करें तदानुसार राजस्व नक्शे को तरमीम कर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को अपने अपने हिस्से में आई आराजी पर पैमाइस कराकर पृथक से कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित फरमावें । तथा प्रतिवादी कम 2 को वादीगण के हिस्से की 7 बीघा भूमि से बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराजियात के किसी भी भाग से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को बेदखल न करे नही वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे।

प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादपत्र की पूर्ण स्वीकारोक्ति होने से एवं किसी तरह के विवाधक के विचरण की आवश्यकता नही होने के कारण वादी ने अपनी साक्ष्य में वादी बारेलाल पी.डब्लू 1 के रूप में ब्यान दर्ज कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि की नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित कराई जाकर उभय पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य बन्द की गई तत्पश्चात उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वाद पत्र में विचारणय बिन्दू यह है कि विवादित आराजियात में वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 है जिसमें से करीब 7 बीघा भूमि पर प्रतिवादी कम 2 द्वारा अवैध अतिकमण कर लिया है जिसे वादीगण बेदखल कराने के हकदार है।

नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 एवं सह खातेदार प्रतिवादी कम 1 के इकवाली जबाब से वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम कुश्यारा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान में आराजी खसरा न0 259 रकवा 14.10 बीघा, ख0 न0 671 रकवा 5.00 बीघा, ख0 न0 672 रकवा 9.13 बीघा, ख0न0 673 रकवा 0.08 बीघा, ख0न0 674 रकवा 4.19 बीघा, ख0 न0 675 रकवा 1.00 बीघा, ख0 न0 676 रकवा 7.04 बीघा एवं ख0 न0 700 रकवा 1.15 बीघा कुल किता 8 कुल रकवा 44.09 बीघा विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है इस तरह वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 सहखातेदार है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 है जिसे अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजित कराने के वादीगण हकदार पाये जाते है। एवं उक्त आराजियात में से

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बांरा (राज.)

Scanned by CamScanner

7 बीघा जमीन पर प्रतिवादी कम 2 का अवैध अतिचार होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये जिससे यह तथ्य सिद्व नही होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कुशियारा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान की आराजी खसरा न0 259 रकवा 14.10 बीघा, ख0 न0 671 रकवा 5.00 बीघा, ख0 न0 672 रकवा 9.13 बीघा, ख0न0 673 रकवा 0.08 बीघा, ख0न0 674 रकवा 4.19 बीघा, ख0 न0 675 रकवा 1.00 बीघा, ख0 न0 676 रकवा 7.04 बीघा एवं ख0 न0 700 रकवा 1.15 बीघा कुल किता 8 कुल रकवा 44.09 बीघा में वादीगण के हिस्से 1/2 का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार शाहाबाद से नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद, बारां (राज.)

Scanned by CamScanner